कार्यालय जिला पंचायत श्योपुर (म0प्र0)

क्रमांक/आ.ज.क./सं.शा.शि./नियु./2010/ 13550 श्योपुर दिनांक 9.11.10

//आदेश//

जिला पंचायत श्योपुर के अधीन आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-02 के निम्न अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती द्वारा म0प्र0पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम 2005 के अधीन शासन द्वारा निर्धारित दर रूपये 3500/- (तीन हजार पाँच सौ रूपये मात्र) प्रतिमाह संविदा आधार पर नियुक्त किया जाता है।

चयनित अभ्यर्थी को निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक 04 में अंकित विद्यालय में पदस्थ किया जाता है -

क्र0	अभ्यर्थी का नाम व पता	संकाय का नाम	पदांकित शाला का नाम
1	2	3	4
1	गजेन्द्र सिंह रावत/श्री केन्द्र सिंह रावत	गणित	आवासीय विद्यालय श्योपुर
2	नवल किशौर धाकड/श्री राधेश्याम धाकड	गणित	आदि.बा.अंग्रेजी आश्रम श्योपुर
3	रतीराम मीणा/श्री प्रभुलाल मीणा	गणित	आवासीय विद्यालय श्योपुर
4	रघुवीर सिंह मीणा/श्री भगवन लाल मीणा	गणित	आवासीय विद्यालय श्योपुर
5	रणवीर सिंह मीणा/श्री रामदयाल मीणा	गणित	आदि.बा.आश्रम कलारना
6	मलखान सिंह कुशवाह/श्री पूरन सिंह कुशवाह	गणित	शा0उ0उ0मा0वि0कराहल
7	मुकेश सेन/श्री देवीदयाल सेन	गणित	शा0उ0उ0मा0वि0कराहल
8	रामबाबू साहू/श्री जगन्नाथ साहू	गणित	शा0हाई स्कूल खिरखिरी
9	भरत पटेल/श्री लक्ष्मण प्रसाद पटेल	गणित	आदि.बा.आश्रम ककरधा
10	मनोज सिंह धाकड/श्री विरेन्द्र सिंह धाकड	गणित	आदि.क.आश्रम गोपालपुरा
11	वियाधर मीणा/श्री राधेश्याम मीणा	गणित	आदि.बा.आश्रम तिल्लीडेरा
12	कमल किशौर शर्मा/श्री देवेन्द्र प्रसाद शर्मा	गणित	आदि.बा.आश्रम बगवाज
13	पवन कुमार मिततल/श्री सुरेश चंद्र मित्तल	गणित	आदि.बा.आश्रम अगरा
14	राधेश्याम सिंह/श्री खुशाल सिंह	गणित	शा0मा0वि0 मयापुर
15	घनश्याम सुमन/श्री प्रभुलाल सुमन	गणित	शा0हाईस्कूल सलमान्या
16	रवीन्द्र गुप्ता/श्री राधेश्याम गुप्ता	गणित	शा0मा0वि0 पनवाडा
17	अमित यादव/श्री जी0एस0 यादव	गणित	आदि.क.आश्रम मयापुर
18	दुर्गाशंकर शर्मा/श्री गोबरी लाल शर्मा	गणित	आदि.बा.आश्रम मकडावदाकलां
19	अजीत सिंह तौमर/श्री जी0एस0 तौमर	गणित	आदि.बा.आश्रम मसावनी

नियुक्ति के लिये निम्न शर्ते बंधनकारी होंगी :-

1. संविदा शाला शिक्षक के पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी किसी विशिष्ट स्कूल के लिये तीन वर्ष की कालावधि के लिये नियुक्त किया जावेगा। प्रत्येक वर्ष के अंत में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा शाला शिक्षक को उसके कार्य, आचरण तथा प्रदर्शन के आधार पर 03 वर्ष के पश्चात् पुनः आगामी तीन वर्ष के लिये संविदा पर नियुक्त किया जा

सकेगा। ऐसा व्यक्ति नवीन नियुक्ति पर संविदा राशि में 15 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त करने का हकदार होगा। यदि संवि. शाला शिक्षक का कार्य समाधानप्रद नहीं है तो जिला पंचायत द्वारा उसकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी।

2. प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिये नियोजन प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक संविदा शाला शिक्षक के कार्य, आचरण तथा प्रदर्शन का मूल्यांकन यथा विहित प्रारूप में संधारित किया जावेगा एवं प्रतिकूल होने पर संविदा समाप्त कर दी जावेगी।
3. प्रत्येक संविदा काल अवधि की समाप्ति के पश्चात् संविदा काल अवधि में वृद्धि किये जाने की दशा में नवीन संविदा निष्पादित करना होगी।
4. इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के माध्यम से जिला पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करेगा।
5. इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति जिला पंचायत में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को लागू नियमों के अनुसार यात्रा भत्तों का हकदार होगा।
6. इन नियमों के अधीन नियोजित किया गया कोई व्यक्ति पेंशन संबंधी किसी भी सुविधा का हकदार नहीं होगा।
7. इन नियमों के अधीन नियोजित किया गया कोई व्यक्ति एक वर्ष में 13 दिवस के आकस्मिक तथा 03 दिवस के एच्छिक अवकाश का हकदार होगा। महिला संविदा शाला शिक्षक की दशा में वह 90 दिन के मातृत्व अवकाश की हकदार होगी, पुरूष संविदा शाला शिक्षक की दशा में वह 15 दिन के पितृत्व अवकाश का हकदार होगा किंतु कोई भी संविदा शाला शिक्षक किसी अन्य प्रकार के अवकाश का हकदार नहीं होगा।
8. ''संविदा शाला शिक्षक'' अपनी पदस्थापना के स्थान से स्थानांतरित नहीं किया जायेगा/जायेगी और वह अपनी पदस्थापना के स्थान को अपना मुख्यालय बनाये रखेगा/रखेगी।
9. इन नियमों के अधीन नियोजित किसी व्यक्ति को मँहगाई भत्ता, गृहभाड़ा भत्ता अथवा अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।
10. संविदा अवधि का अवसान होने के पूर्व इन नियमों के अधीन किसी भी पक्षकार द्वारा एक मास की सूचना देकर या उसके बदले में एक मास के संविदा पारिश्रमिक का भुगतान कर सेवाओं का पर्यवसान किया जा सकेगा।
11. इन नियमों के अधीन नियोजित किया गया कोई भी व्यक्ति म0प्र0पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 द्वारा शासित होगा, सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि संविदा में विनिर्दिष्ट की जायें।
12. प्रत्येक व्यक्ति जिसे इन नियमों के अधीन संविदा पर नियुक्ति दी गई है, को शासन द्वारा निर्धारित करार भरकर कार्यालय में जमा कराना होगा।
13. यह संविदा नियुक्तियाँ माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के प्रकरण क्रमांक W.P. 8266 / 2005 में पारित आदेश के अधीन रहेगी।
14. संबंधित संविदा शिक्षक पद पर चयनित अभ्यर्थी को 10 दिवस में अपनी पदस्थ संस्था पर उपस्थिति देनी होगी अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
15. संविदा नियुक्ति के पश्चात् किसी भी स्तर पर आपके दस्तावेजों के परीक्षण करवाने पर कोई कूटरचना अथवा फर्जीकरण पाया जाता है तो आपकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त हो जावेगी।
16. संविदा पर नियुक्ति पश्चात् समय समय पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षणों में अनिवार्यतः भाग लेना होगा। प्रशिक्षण अवधि में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है एवं प्रशिक्षण अवधि में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने पर संविदा सेवा समाप्त कर दी जावेगी।
17. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के कदाचार या किसी आपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त पाये जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत श्योपुर (म0प्र0)

पृ0क्रमांक/आ.जा.क./सं.शा.शि./नियु./2010/ 13551 श्योपुर दिनांक ...9...11..16

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, म0प्र0शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, म0प्र0भोपाल।
3. आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना।
4. कलेक्टर, जिला श्योपुर।
5. सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, जिला श्योपुर म0प्र0।
6. खण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड कराहल जिला श्योपुर की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. प्रधानाध्यापक, ... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री .... की ओर पालनार्थ एवं आदिम जाति कल्याण विभाग कार्यालय में प्रथम उपस्थिति दर्ज कराकर एक दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना यूनिक आई0डी0 कोड प्राप्त कर तत्काल शाला में उपस्थिति देवें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत श्योपुर (म0प्र0)

C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Aadesh_EDU.doc

कार्यालय जिला पंचायत श्योपुर (म0प्र0)

क्रमांक/आ.जा.क./सं.शा.शि./नियु./2010/ 13552 | श्योपुर दिनांक 9.11.10

//आदेश//

जिला पंचायत श्योपुर के अधीन आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-02 के निम्न अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती द्वारा म0प्र0पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम 2005 के अधीन शासन द्वारा निर्धारित दर रूपये 3500/- (तीन हजार पाँच सौ रूपये मात्र) प्रतिमाह संविदा आधार पर नियुक्त किया जाता है।

चयनित अभ्यर्थी को निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक 04 में अंकित विद्यालय में पदस्थ किया जाता है :-

क्र0	अभ्यर्थी का नाम व पता	संकाय का नाम	पदांकित शाला का नाम
1	2	3	4
1	सुरूचि करोरिया/श्री विजय सिंह करोरिया	विज्ञान	आवासीय विद्यालय श्योपुर
2	मिनी जाटव/श्री कमर लाल जाटव	विज्ञान	आवासीय विद्यालय श्योपुर
3	पिंकी गोयल/श्री ताकी राम गोयल	विज्ञान	शा0उ0उ0मा0वि0 कराहल
4	मधुवाला/श्री राकेश कुमार मोर्य	विज्ञान	आवासीय विद्यालय श्योपुर
5	पवन कुमार शर्मा/श्री रामदीन शर्मा	विज्ञान	शा0मा0वि0पनवाडा

नियुक्ति के लिये निम्न शर्तें बंधनकारी होंगी :-

1. संविदा शाला शिक्षक के पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी किसी विशिष्ट स्कूल के लिये तीन वर्ष की कालावधि के लिये नियुक्त किया जावेगा। प्रत्येक वर्ष के अंत में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा शाला शिक्षक को उसके कार्य, आचरण तथा प्रदर्शन के आधार पर 03 वर्ष के पश्चात् पुनः आगामी तीन वर्ष के लिये संविदा पर नियुक्त किया जा सकेगा। ऐसा व्यक्ति नवीन नियुक्ति पर संविदा राशि में 15 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त करने का हकदार होगा। यदि संविदा शाला शिक्षक का कार्य समाधानप्रद नहीं है तो जिला पंचायत द्वारा उसकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी।
2. प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिये नियोजन प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक संविदा शाला शिक्षक के कार्य, आचरण तथा प्रदर्शन का मूल्यांकन यथा विहित प्रारूप में संधारित किया जावेगा एवं प्रतिकूल होने पर संविदा समाप्त कर दी जावेगी।
3. प्रत्येक संविदा काल अवधि की समाप्ति के पश्चात् संविदा काल अवधि में वृद्धि किये जाने की दशा में नवीन संविदा निष्पादित करना होगी।
4. इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के माध्यम से जिला पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करेगा।
5. इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति जिला पंचायत में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को लागू नियमों के अनुसार यात्रा भत्तों का हकदार होगा।
6. इन नियमों के अधीन नियोजित किया गया कोई व्यक्ति पेंशन संबंधी किसी भी सुविधा का हकदार नहीं होगा।
7. इन नियमों के अधीन नियोजित किया गया कोई व्यक्ति एक वर्ष में 13 दिवस के आकस्मिक तथा 03 दिवस के एच्छिक अवकाश का हकदार होगा। महिला संविदा शाला शिक्षक की दशा में वह 90 दिन के मातृत्व अवकाश की हकदार होगी, पुरूष संविदा शाला शिक्षक की दशा में वह 15 दिन के पितृत्व अवकाश का हकदार होगा किंतु कोई भी संविदा शाला शिक्षक किसी अन्य प्रकार के अवकाश का हकदार नहीं होगा।
8. "संविदा शाला शिक्षक" अपनी पदस्थापना के स्थान से स्थानांतरित नहीं किया जायेगा/जायेगी और वह अपनी पदस्थापना के स्थान को अपना मुख्यालय बनाये रखेगा/रखेगी।
9. इन नियमों के अधीन नियोजित किसी व्यक्ति को मँहगाई भत्ता, गृहभाड़ा भत्ता अथवा अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।

10. संविदा अवधि का अवसान होने के पूर्व इन नियमों के अधीन किसी भी पक्षकार द्वारा एक मास की सूचना देकर या उसके बदले में एक मास के संविदा पारिश्रमिक का भुगतान कर सेवाओं का पर्यवसान किया जा सकेगा।

11. इन नियमों के अधीन नियोजित किया गया कोई भी व्यक्ति म0प्र0पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 द्वारा शासित होगा, सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि संविदा में विनिर्दिष्ट की जायें।

12. प्रत्येक व्यक्ति जिसे इन नियमों के अधीन संविदा पर नियुक्ति दी गई है, को शासन द्वारा निर्धारित करार भरकर कार्यालय में जमा कराना होगा।

13. यह संविदा नियुक्तियाँ माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के प्रकरण क्रमांक W.P. 8266 / 2005 में पारित आदेश के अधीन रहेगी।

14. संबंधित संविदा शिक्षक पद पर चयनित अभ्यर्थी को 10 दिवस में अपनी पदस्थ संस्था पर उपस्थिति देनी होगी अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

15. संविदा नियुक्ति के पश्चात् किसी भी स्तर पर आपके दस्तावेजों के परीक्षण करवाने पर कोई कूटरचना अथवा फर्जीकरण पाया जाता है तो आपकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त हो जावेगी।

16. संविदा पर नियुक्ति पश्चात् समय समय पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षणों में अनिवार्यतः भाग लेना होगा। प्रशिक्षण अवधि में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है एवं प्रशिक्षण अवधि में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने पर संविदा सेवा समाप्त कर दी जावेगी।

17. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के कदाचार या किसी आपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त पाये जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत श्योपुर (म0प्र0)

पृ0क्रमांक/आ.जा.क./सं.शा.शि./नियु./2010/ 13553 श्योपुर दिनांक 9.11.10

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, म0प्र0शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, म0प्र0भोपाल।
3. आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना।
4. कलेक्टर, जिला श्योपुर।
5. सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, जिला श्योपुर म0प्र0।
6. खण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड कराहल जिला श्योपुर की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. प्रधानाध्यापक, ... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री .... की ओर पालनार्थ एवं आदिम जाति कल्याण विभाग कार्यालय में प्रथम उपस्थिति दर्ज कराकर एक दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना यूनिक आई0डी0 कोड प्राप्त कर तत्काल शाला में उपस्थिति देवें।

9/11/10

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत श्योपुर (म0प्र0)

कार्यालय जिला पंचायत श्योपुर (म0प्र0)

क्रमांक/आ.जा.क./सं.शा.शि./नियु./2010/ 13554 श्योपुर दिनांक .....9..11..16

//आदेश//

जिला पंचायत श्योपुर के अधीन आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 02 के निम्न अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती द्वारा म0प्र0पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम 2005 के अधीन शासन द्वारा निर्धारित दर रूपये 3500/- (तीन हजार पाँच सौ रूपये मात्र) प्रतिमाह संविदा आधार पर नियुक्त किया जाता है।

चयनित अभ्यर्थी को निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक 04 में अंकित विद्यालय में पदस्थ किया जाता है -

क्र0	अभ्यर्थी का नाम व पता	संकाय का नाम	पदांकित शाला का नाम
1	2	3	4
1	रामकुमार जाटव/श्री रामभरोषी जाटव	कला	शा0मा0वि0 भीमलत
2	पारूल श्रीवास्तव/श्री एस0के0 श्रीवास्तव	कला	शा0उ0उ0मा0वि0 कराहल
3	नीलेश सिंहल/श्री दिनेश बाबू सिंहल	कला	आवासीय विद्यालय श्योपुर

नियुक्ति के लिये निम्न शर्ते बंधनकारी होंगी :-

1. संविदा शाला शिक्षक के पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी किसी विशिष्ट स्कूल के लिये तीन वर्ष की कालावधि के लिये नियुक्त किया जावेगा। प्रत्येक वर्ष के अंत में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा शाला शिक्षक को उसके कार्य, आचरण तथा प्रदर्शन के आधार पर 03 वर्ष के पश्चात् पुनः आगामी तीन वर्ष के लिये संविदा पर नियुक्त किया जा सकेगा। ऐसा व्यक्ति नवीन नियुक्ति पर संविदा राशि में 15 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त करने का हकदार होगा। यदि संविदा शाला शिक्षक का कार्य समाधानप्रद नहीं है तो जिला पंचायत द्वारा उसकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी।
2. प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिये नियोजन प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक संविदा शाला शिक्षक के कार्य, आचरण तथा प्रदर्शन का मूल्यांकन यथा विहित प्रारूप में संधारित किया जावेगा एवं प्रतिकूल होने पर संविदा समाप्त कर दी जावेगी।
3. प्रत्येक संविदा काल अवधि की समाप्ति के पश्चात् संविदा काल अवधि में वृद्धि किये जाने की दशा में नवीन संविदा निष्पादित करना होगी।
4. इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के माध्यम से जिला पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करेगा।
5. इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति जिला पंचायत में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को लागू नियमों के अनुसार यात्रा भत्तों का हकदार होगा।
6. इन नियमों के अधीन नियोजित किया गया कोई व्यक्ति पेंशन संबंधी किसी भी सुविधा का हकदार नहीं होगा।
7. इन नियमों के अधीन नियोजित किया गया कोई व्यक्ति एक वर्ष में 13 दिवस के आकस्मिक तथा 03 दिवस के एच्छिक अवकाश का हकदार होगा। महिला संविदा शाला शिक्षक की दशा में वह 90 दिन के मातृत्व अवकाश की हकदार होगी, पुरूष संविदा शाला शिक्षक की दशा में वह 15 दिन के पितृत्व अवकाश का हकदार होगा किंतु कोई भी संविदा शाला शिक्षक किसी अन्य प्रकार के अवकाश का हकदार नहीं होगा।
8. "संविदा शाला शिक्षक" अपनी पदस्थापना के स्थान से स्थानांतरित नहीं किया जायेगा/जायेगी और वह अपनी पदस्थापना के स्थान को अपना मुख्यालय बनाये रखेगा/रखेगी।
9. इन नियमों के अधीन नियोजित किसी व्यक्ति को मँहगाई भत्ता, गृहभाड़ा भत्ता अथवा अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।
10. संविदा अवधि का अवसान होने के पूर्व इन नियमों के अधीन किसी भी पक्षकार द्वारा एक मास की सूचना देकर या उसके बदले में एक मास के संविदा पारिश्रमिक का भुगतान कर सेवाओं का पर्यवसान किया जा सकेगा।

11. इन नियमों के अधीन नियोजित किया गया कोई भी व्यक्ति म0प्र0पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 द्वारा शासित होगा, सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि संविदा में विनिर्दिष्ट की जायें।

12. प्रत्येक व्यक्ति जिसे इन नियमों के अधीन संविदा पर नियुक्ति दी गई है, को शासन द्वारा निर्धारित करार भरकर कार्यालय में जमा कराना होगा।

13. यह संविदा नियुक्तियाँ माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के प्रकरण क्रमांक W.P. 8266 / 2005 में पारित आदेश के अधीन रहेगी।

14. संबंधित संविदा शिक्षक पद पर चयनित अभ्यर्थी को 10 दिवस में अपनी पदस्थ संस्था पर उपस्थिति देनी होगी अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

15. संविदा नियुक्ति के पश्चात् किसी भी स्तर पर आपके दस्तावेजों के परीक्षण करवाने पर कोई कूटरचना अथवा फर्जीकरण पाया जाता है तो आपकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त हो जावेगी।

16. संविदा पर नियुक्ति पश्चात् समय समय पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षणों में अनिवार्यतः भाग लेना होगा। प्रशिक्षण अवधि में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है एवं प्रशिक्षण अवधि में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने पर संविदा सेवा समाप्त कर दी जावेगी।

17. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के कदाचार या किसी आपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त पाये जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत श्योपुर (म0प्र0)

पृ0क्रमांक/आ.जा.क./सं.शा.शि./नियु./2010/ 13555 श्योपुर दिनांक 9.11.10

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, म0प्र0शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, म0प्र0भोपाल।
3. आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना।
4. कलेक्टर, जिला श्योपुर।
5. सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, जिला श्योपुर म0प्र0।
6. खण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड कराहल जिला श्योपुर की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. प्रधानाध्यापक, ... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री .... की ओर पालनार्थ एवं आदिम जाति कल्याण विभाग कार्यालय में प्रथम उपस्थिति दर्ज कराकर एक दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना यूनिक आई0डी0 कोड प्राप्त कर तत्काल शाला में उपस्थिति देवें।

9/11/10

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत श्योपुर (म0प्र0)